



Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal

Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continuous Khatian

Anchal- गोविन्दपुर Rev P.S- गोविन्दपुर State of- झारखण्ड Police Station- गोविन्दपुर R.T.No 94 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
251	श्रीनाथ मंडल वो कृतु मंडल , पिता-प्राण किष्टो मंडल, जाति- सुड़ी	1445		0 ऐ	0 डि	0 हे	0		1 / 251
		1446		0 ऐ	0 डि	0 हे			
251	DILIP KUMAR BANERJEE , पिता-LATE BHOLANATH BANERJEE, जाति- ब्राहमन	1445		0 ऐ	0 डि	0 हे	0	नामान्तरण मुकदमा संख्या 855/2017 - 2018	2 / 3
		1446		0 ऐ	0 डि	0 हे			
251	DILIP KUMAR BANERJEE , पिता-LATE BHOLANATH BANERJEE, जाति- ब्राहमन	1445		0 ऐ	0.69 डि	0 हे	0	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1197/2017 - 2018	2 / 6
		1446		0 ऐ	0 डि	0 हे			
251	SRI DILIP KUMAR BANERJEE , पिता-LATE-BHOLANATH BANERJEE, जाति- ब्राहमण	1445		0 ऐ	0 डि	0 हे	0	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1317/2018 - 2019	2 / 14
251	DILIP KUMAR BANERJEE , पिता-LATE-BHOLA NATH BANERJEE, जाति- ब्राहमण	1445		0 ऐ	0.16 डि	0 हे	0	नामान्तरण मुकदमा संख्या 633/2019 - 2020	4 / 55
		1446		0 ऐ	2.38 डि	0 हे			
251	GEETA BARAT , पति-SHAMBHU CHANDRA BARAT, जाति- मयरा	1445		0 ऐ	1.85 डि	0 हे	8	नामान्तरण मुकदमा संख्या 480/2019 - 2020	4 / 57
		1445		0 ऐ	5 डि	0 हे			
251	NIYOTI DEVI , पति-LATE KHAGEN CHANDRA BARAT, जाति- मयरा	1445		0 ऐ	3.5 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 481/2019 - 2020	4 / 58
		1445		0 ऐ	0.96 डि	0 हे			

251	RAM BILAS PRASAD CHOUDHARY , पिता-MAHESHWAR PRASAD CHOUDHARY, जाति- भुमीहार ब्राहमण	1446	0 ऐ	0.95 डि	0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 2690/2019 - 2020	4 / 65
-----	---	------	-----	------------	------	---	---	--------

251	TARULATA DEVI , पति-LATE BHAGIRATH PRASAD MANDAL, जाति- सुडी	1446	0 ऐ	4.5 डि	0 हे	26	नामान्तरण मुकदमा संख्या 2264/2020 - 2021	4 / 98
		1446	0 ऐ	2.83 डि	0 हे			
		1446	0 ऐ	3.05 डि	0 हे			
		1445	0 ऐ	0.84 डि	0 हे			
		1446	0 ऐ	1.12 डि	0 हे			

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

3/1/2021

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।